भाखरराम पुत्र श्री रूगनाथराम के कायम मुकामः–

1. नैनी पत्नी स्व. श्री भाखरराम
2. रामरख पुत्र स्व. श्री भाखरराम
3. मांगीलाल पुत्र स्व. श्री भाखरराम
4. महीराम उर्फ महीपाल पुत्र स्व. श्री भाखरराम
5. मनोहरराम पुत्र स्व. श्री भाखरराम
6. कमला पुत्री स्व. श्री भाखरराम
7. लूंगा पुत्री स्व. श्री भाखरराम
8. गीता पत्नी श्री किशनाराम
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– सांवरिज, तहसील व जिला जोधपुर
9. सोमारी पत्नी श्री गिरधारीराम, जाति विश्नोई, निवासी– उदाणियों की ढाणी, तहसील व जिला जोधपुर।

—— अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

डूंगरराम पुत्र श्री लिछमणराम के कायम मुकामः–

1. लाछो पत्नी स्व. श्री डूंगरराम
2. नाथुराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम
3. इन्द्राराम पुत्र स्व. श्री डूंगरराम
4. हीरा पत्नी स्व. श्री बींजाराम
5. प्रकाश पुत्र स्व. श्री बींजाराम
6. रेवतराम पुत्र स्व. श्री बींजाराम
7. मगाराम पुत्र स्व. श्री बींजाराम
8. रेखा पुत्री स्व. श्री बींजाराम
9. पुजा पुत्री स्व. श्री बींजाराम नाबालिग द्वारा कुदरती वली माता हीरा पत्नी स्व. श्री बींजाराम प्रत्यर्थी संख्या चार
10. सुगनी पत्नी स्व. श्री अलसीराम
11. गजेन्द्र पुत्र स्व. श्री अलसीराम अवयस्क
12. दमा पुत्री स्व. श्री अलसीराम अवयस्क
13. सीमा पुत्र स्व. श्री अलसीराम अवयस्क

प्रत्यर्थी संख्या 11 से 13 अवयस्क द्वारा प्राकृतिक वली उनकी माता प्रत्यर्थी संख्या 10 सुगनी पत्नी स्व. श्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अलसीराम, सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण– सांवरिज, तहसील व जिला फलोदी।

14. लाधुराम पुत्र श्री सांवताराम जाति विश्नोई, निवासी– पूनियों की ढाणी मण्डलाकला, तहसील देचू, जिला फलोदी।
15. मोहनी पत्नी श्री श्रवणराम, जाति विश्नोई, निवासी– कुशलावा, तहसील व जिला फलोदी।
16. शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक, शाखा फलोदी।
17. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सावंरिज, तहसील व जिला फलोदी।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी।

—— रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2024 राजस्व मूल वाद संख्या 341/2018 डूंगरराम बनाम भाखरराम के कायम मुकाम नैनी इत्यादि

—— 0 ——

उपस्थित –
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री रोशनलाल अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 2
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 24 सितंबर 2024

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 341/2018 अनवान डूंगरराम बनाम भाखरराम के कायम मुकाम नैनी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 फरवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 04 मार्च 2024 को पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 13 के पूर्व स्व. डूंगरराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 91, 92ए एवं 188 के तहत एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 416 रकबा 275.15 बीघा ग्राम सांवरीज, तहसील फलोदी के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 फरवरी 2024 के जरिये वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके विधिक प्रतिनिधियों को पत्रावली पर लिये जाने हेतु अंदर म्याद कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे भी कानूनन वादी का वाद उपशमन हो गया था। वादी ने वादग्रस्त आराजी को वर्ष 1958–1959 में खरीद करना बताकर वाद प्रस्तुत किया था, किंतु उसके विधिक वारिसान् द्वारा खरीद का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार केवल जबानी कथन विधि एवं न्याय में ग्राहय नहीं है, इसलिए वादी का वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने के योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 फरवरी 2024 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. वादग्रस्त आराजी पर शांति पूर्वक कब्जा काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है तथा मौके पर उसकी रहवासी ढाणीयॉ बनी हुई है। वादीगण द्वारा अपने वाद में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन मुताबिक सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानो के विपरीत बिना किसी सक्षम आदेश के प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की तामील पत्रावली पर उपलब्ध केवल पोस्टल रसीदात् के आधार पर ही माना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन जारी किये जाने के बिना सक्षम आदेश एवं बिना किसी पावति रिपोर्ट के प्रतिवादीगण पर तामील मानकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाना पाया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा के वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वाद में तनकीयात कायम किये बिना तथा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में एकपक्षीय एवं विधिविरूद्ध होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 341/2018 अनवान डूंगरराम बनाम भाखरराम के कायम मुकाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भाखरराम के कायम मुकाम नैनी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 फरवरी 2024 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान कर वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत तनकीवार एवं विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
प्रथम लिंक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर